SEMESTER - 3

CC- 11

South Asia 1950 Onwards

- **Unit -4 : Globalization and its impact on women and society**

  Part-5

Vetted by :

प्रो० (डॉ०) सुरेंद्र कुमार

विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग

पटना विश्वविद्यालय, पटना

संपर्क : 09835463960

Presented by:

शिप्रा नंदन

अतिथि शिक्षक, इतिहास विभाग

पटना विश्वविद्यालय, पटना

संपर्क : 08604171178

nandan.shiprabhu@gmail.com

भारत में रोजगार पर वैश्वीकरण का प्रभाव

(Impact of Globalization on Employment in India)

वैश्वीकरण व्यापार उदारीकरण के माध्यम से, निर्यात एवं आयात को प्रोत्साहित करने तथा निवेश एवं नवाचार हेतु बढ़ते प्रोत्साहनों के माध्यम से रोजगार की स्थिति को प्रभावित करता है। यह घरेलू निवेश के पूरक के रूप में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को प्रोत्साहित कर अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को गति प्रदान करता है। वैश्वीकरण को प्रायः घरेलू उदारीकरण के साथ संबद्ध किया जाता है, इसके परिणामस्वरूप ट्रेड यूनियनों की शक्ति में कमी आती है तथा यह अनौपचारिक संविदाकरण एवं तालाबंदी (lock out) को प्रोत्साहित करता है।

वैश्वीकरण के समर्थकों का सदैव यही दृढ़ विचार रहा है की वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप श्रम गहन निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी जिससे विकासशील देशों में रोजगार एवं आय सृजन को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही, FDI के अत्यधिक प्रवाह के परिणामस्वरूप ग्रीनफील्ड क्षेत्रों में निवेश में वृद्धि के साथ-साथ विकासशील देशों में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार और आय में भी त्वरित वृद्धि होगी। भारतीय संदर्भ में आर्थिक सुधारों के पश्चात अर्थव्यवस्था और रोजगार के विकास की दर में बढ़ोत्तरी हुई है, परन्तु अभी भी दोनों क्षेत्रों में विविधीकरण का अभाव है। अंतर्वौयत्किक आय और अंतर-क्षेत्रीय आय, दोनों में असमानताएं उच्च रहने के साथ-साथ बढ़ी भी है। श्रमिकों के एक बड़े वर्ग के लिए रोजगार की गुणवत्ता की स्थिति अत्यधिक निम्नस्तरीय बनी हुई है।

भारतीय संदर्भ में निम्नलिखित बिंदु उल्लेखनीय है:

- वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप **श्रम के अनौपचारिकरण** में वृद्धि हुई है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा, औपचारिक फ़र्मों को औपचारिक वैतनिक श्रमिकों को न्यूनतम वेतन एवं आश्वासित कार्य

या लाभ के बिना अनौपचारिक रोजगार व्यवस्था में स्थानांतरित करने हेतु प्रोत्साहित करती है। इसके साथ ही इससे अनौपचारिक इकाइयों को भी श्रमिकों को न्यूनतम वेतन अथवा बिना किसी अन्य लाभ के पीस-रेट (श्रमिकों द्वारा उत्पादित प्रति इकाई के आधार पर भुगतान) या अनौपचारिक कार्य व्यवस्था में स्थानांतरित करने हेतु बढ़ावा मिलता है।

- कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में अनौपचारिक श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी पूर्व की तुलना में तीव्र गति से बढ़ी है।
- सामान्यतः तथा अधिक महत्वपूर्ण रूप से अनौपचारिक क्षेत्रों में, **कुशल श्रमिकों के पक्ष** में श्रम बल की संरचना में बदलाव आया है। इसके परिणामस्वरूप संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्रों में श्रम उत्पादकता में तीव्र सुधार के संकेत प्राप्त हुए।
- **श्रमिकों की अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता:** अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से परे सम्पूर्ण विश्व में श्रमिकों का प्रवास, वैश्वीकरण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है।
    - स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से, भारत में प्रवास की दो प्रकार की प्रवृत्ति रही है। जहाँ तकनीकी कौशल और व्यावसायिक विशेषज्ञता प्राप्त व्यक्तियों ने औद्योगीकृत देशों की ओर प्रवास किया है वहीं अकुशल एवं अर्द्ध कुशल श्रमिकों का मध्य-पूर्व के तेल निर्यातक देशों की ओर प्रवाह देखने को मिला है।
    - हालांकि, 1990 के दशक के दौरान, मध्य पूर्व में अकुशल और अर्द्ध कुशल श्रमिकों के स्थान पर सेवा, संचालन (operations) और रखरखाव हेतु उच्च कौशल प्राप्त श्रमिकों की आवश्यकता के साथ श्रम मांग प्रतिरूप में एक स्पष्ट बदलाव देखा गया है।
    - इसके अतिरिक्त भारत में आई. टी. एवं सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में भारी वृद्धि हुई है।

- इन सभी ने भारतीय श्रम हेतु रोजगार के अवसरों में वृद्धि की है, विशेषतः तब जब देश में अंग्रेजी भाषी लोगों का एक बड़ा समूह विद्यमान है।
- इस प्रक्रिया में, भारतीय डायस्पोरा (जोकि विश्व में सबसे बड़ा है) के निरंतर विप्रेषण ने देश के भुगतान संतुलन में स्थिरता प्रदान की है।

- **महिला श्रम:** उदारीकरण के पश्चात कार्यबल में महिलाओं के अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- **बाल श्रम:** अवांछनीय होने के बावजूद सामाजिक-आर्थिक विवशता के कारण बाल श्रम मुख्यतः ग्रामीण एवं कृषि गतिविधियों में अभी भी विद्यमान है। परन्तु कार्यबल में 5 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की भागीदारी में गिरावट आई है। इस सन्दर्भ में प्रतिस्थापन प्रभाव (substitution effect) को देखा जा सकता है, जो वयस्क महिलाओं की नियोजनीयता (employability) के पक्ष में दृष्टिगोचर होता है।
- **औधोगिक संबंध:** दबाव और टकराव के स्थान पर परामर्श, सहयोग तथा सर्वसम्मति का प्रयोग बढ़ रहा है। बड़े श्रम दिवसों की हानि में आयी कमी के रूप में सामने आया है।

अनौपचारिक क्षेत्रक पर वैश्वीकरण का प्रभाव

(Impact of Globalization on Informal sector)

अनौपचारिक क्षेत्रक में पुरुषों और महिलाओं का विशाल समूह सम्मिलित है। यह समूह नियमित वेतन और नौकरी की सुरक्षा के अभाव में जीवन यापन करता है। इसके अंतर्गत स्व-नियोजित एवं दैनिक मजदूरी करने वाले श्रमिकों के साथ-साथ ऐसे वेतनभोगी कर्मचारी भी शामिल हैं जिन्हें नौकरी की सुरक्षा, पारिश्रमिक में संशोधन तथा अन्य लाभ उपलब्ध नहीं हैं।

- वैश्वीकरण प्रायः सुरक्षित स्व-रोजगार को अपेक्षाकृत अधिक अनिश्चित स्व-रोजगार की ओर विस्थापित करता है, क्योंकि निर्माता और व्यापारी अपने सम्बद्ध बाजार क्षेत्रों को खो देते हैं।
- विभिन्न देशों में तीव्रता एवं सरलता से संचालन एवं कार्य करने में सक्षम बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण से लाभान्वित होती हैं परन्तु यह सरलता से प्रवासित होने में अक्षम श्रमिकों, विशेषतः अर्द्ध कुशल श्रमिकों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। वैश्वीकरण, अर्द्ध कुशल श्रमिकों एवं छोटे उत्पादकों की सौदेबाजी क्षमता को कम कर तथा अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के माध्यम से दबाव में वृद्धि करता है।
- देश में कौशल/शिक्षा के अभाव के कारण औपचारिक क्षेत्रक में अवसरों की कमी तथा रोजगार सृजन की धीमी गति के कारण लोग रोजगार के लिए अनौपचारिक क्षेत्र की ओर जाने हेतु बाध्य होते हैं।
- जैसे-जैसे अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में पुरुषों का प्रवेश बढ़ता है, महिलाओं को इसके न्यूनतम पारिश्रमिक वाले कार्यों की ओर धकेले जाने की प्रवृत्ति दिखती है।
- इस प्रकार, अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण निर्धनता, अनौपचारिकता तथा लैंगिकता के मध्य संबंधों को मजबूत बनाता है।
- परन्तु वैश्वीकरण अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में कार्यरत वैतनिक श्रमिकों एवं स्व-नियोजित पेशेवरों के लिए भी क्रमशः नई नौकरियों एवं नए बाजारों के रूप में नए अवसरों का सृजन कर सकता है।
- ग्लोबल कमोडिटी चेन के माध्यम से आउट्सोर्सिंग या सब-कंट्रैक्टिंग करने वाले कई प्रमुख उद्योगों की उत्पादन तथा वितरण प्रणाली का पूर्णतः पुनर्गठन किया गया है। इसका परिणाम

यह है कि अधिकाधिक श्रमिकों को बहुत कम वेतन का भुगतान किया जा रहा है तथा उनमें से अधिकांश को उत्पादन की गैर-वेतन लागत को भी स्वीकार करना पड़ता है।

हालांकि, समाज के सबसे कमजोर वर्गों को इन अवसरों की प्राप्ति के लिए सक्षम बनाने हेतु गैर-सरकारी, अनुसंधान संबंधी, सरकारी, निजी क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठनों में संलग्नन संवेदनशील प्रतिनिधियों तथा अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में कार्यरत लोगों के मूलभूत संगठनों के मध्य सहयोगात्मक प्रयास की आवश्यकता है।

कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव

(Impact of Globalization on agriculture)

कृषि क्षेत्र के उदारीकरण तथा मुक्त और निष्पक्ष व्यापार को प्रोत्साहन देने हेतु भारत ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) के एक सदस्य राष्ट्र के रूप में 1 जनवरी 1995 को उरुग्वे दौर के समझौते पर हस्ताक्षर किया। WTO के तत्वाधान में हस्ताक्षरित 'अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर', कृषि व्यापार में अनुचित प्रथाओं को रोकने और कृषि क्षेत्र में सुधार की प्रक्रिया को आरम्भ करने के लिए प्रथम बहुपक्षीय समझौता था। भारतीय कृषि की औसत वार्षिक वृद्धि दर मंद रही है। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से पूर्व 1980-1990 के दशक में यह वृद्धि दर 3.1% थी। किन्तु उस समय से जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर में सापेक्ष कृषि की वार्षिक वृद्धि दर में लगातार गिरावट आई है। वृद्धि दर में इस गिरावट के लिए कई कारक उत्तरदायी थे जैसे – साख की कमी, अपर्याप्त सिंचाई व्यवस्था और ऋणग्रस्तता, अप्रचलित प्रौद्योगिकी का निरंतर उपयोग, आगतों का अनुचित उपयोग और सार्वजनिक निवेश में गिरावट आदि।

कृषि क्षेत्र की तुलना में अर्थव्यवस्था के गैर-कृषि क्षेत्रों में हुई तीव्र वृद्धि के परिणामस्वरूप सफल घरेलू उत्पाद (GDP) में कृषि के अंश में गिरावट आई है। हालांकि GDP में कृषि के योगदान में तीव्र गिरावट दर्ज की गई है परन्तु रोजगार में कृषि के योगदान में अत्यंत मंद दर में गिरावट दर्ज की गई है।

भारत कृषि पर वैश्वीकरण के निम्नलिखित उल्लेखनीय प्रभाव है:

- वैश्वीकरण के कारण किसानों को परंपरागत फसलों से कपास और तंबाकू जैसी निर्यात उन्मुख 'नकदी फसलों' की कृषि हेतु प्रोत्साहित किया गया। इन नकदी फसलों के लिए उर्वरकों, कीटनाशकों और सिंचाई के रूप में अपेक्षाकृत अधिक आगत (इनपुट) की आवश्यकता होती है।
- फसलों और कृषि क्षेत्र के अनुकूल कृषि उपकरणों का उचित उपयोग, कृषि को आर्थिक रूप से व्यवहार्य और लाभदायक बनाते हुए कृषि आगतों के कुशल उपयोग को प्रोत्साहित करता है। यद्यपि कृषि मशीनीकरण में अत्यंत प्रगति हुई है तथापि सम्पूर्ण देश में इसके प्रसार में अभी भी असमानता व्याप्त है।
- भारत में ड्रिप सिंचाई जैसी कई नवीन जल संरक्षक विधियों को अपनाया गया।
- निर्वाह कृषि से पूंजीवादी कृषि और अनुबंध कृषि की ओर क्रमिक परिवर्तन हुआ है।
- विकसित देश के बाजारों तक पहुंच कर विस्तार हुआ है। हालांकि भारतीय कृषक के लिए अपने उत्पादों को निम्न तकनीक और विदेशी उपभोक्ताओं द्वारा आरोपित कठोर गुणवत्ता मानकों के कारण विकसित देशों में निर्यात करना कठिन होता है (उदाहरण के लिए 2014 में यूरोपीय संघ द्वारा सैनिटरी और फाईटोसैनेटरी आवश्यकताओं के कारण आम पर अन्यायी प्रतिबंध का आरोपण)

- मोनसेंटो और कारगिल (Cargill) जैसी बीज उत्पादक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश के कारण बीज की कीमतों में वृद्धि हुई है। बीज के पेटेंट अधिकारों से संबंधित विभिन्न विवाद भी विद्यमान है। अत्यधिक ऋण ग्रस्तता के कारण कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा के किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर की गई आत्महत्या, आगतों की बढ़ती लागत और लाभ पर निम्न मार्जिन को प्रदर्शित करती है।
- कृषि वस्तुओं के व्यापार में वृद्धि के कारण इनकी कीमतों में उतार-चढ़ाव हुआ है।
- इससे कृषि के महिलाकरण (feminization of agriculture) अर्थात कृषि गतिविधियों में महिलाओं की संलग्नता में वृद्धि को प्रोत्साहन मिला है।